2023 का विधेयक संख्यांक 93.

[दि रजिस्ट्रेशन आफ बर्थस एंड डेथ्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

कतिपय अभिव्यक्तियों द्वारा कतिपय अन्य अभिव्यक्तियों के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन ।

2. संपूर्ण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "महारजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वह आता है, "भारत के महारजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे । 1969 का 18

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) को उसके खंड (कख) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (कख) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "आधार संख्या" का वही अर्थ होगा जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में है ; 2016 का 18

(कक) "दत्तक ग्रहण" का वही अर्थ होगा जो उसका किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खंड (2) में है ;'; 2016 का 2

(ii) खंड (ख) को उसके खंड (खक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (खक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "डाटाबेस" से डाटा का संगठित संग्रहण अभिप्रेत है जिसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क से इलैक्ट्रानिक रूप में भंडारित और एक्सेस किया जाता है ;'।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "भारत का महारजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "भारत के महारजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में "भारत के महारजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "भारत के महारजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (3) में "साधारण निर्देश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण" शब्दों के पश्चात् "तथा रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का डाटाबेस" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) भारत के महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय स्तर पर एक डाटाबेस का अनुरक्षण करेगा ।

(5) धारा 17 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए और केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, उपधारा (4) के अधीन अनुरक्षित रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के डाटाबेस को, अनुरोध किए जाने पर, निम्नलिखित से संबंधित डाटाबेस तैयार करने या अनुरक्षण करने से,

व्यौहार करने वाले प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकेगा—

(क) जनसंख्या रजिस्टर;

(ख) निर्वाचक नामावलियां;

(ग) आधार संख्या;

(घ) राशन कार्ड ;

(ङ) पासपोर्ट ;

(च) चालन अनुज्ञप्ति;

(छ) संपत्ति रजिस्ट्रीकरण;और

(ज) राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अन्य डाटाबेस, जैसा उसके द्वारा अधिसूचित किया जाए,

और प्राधिकारी, समुचित कार्यवाही करने के पश्चात्, केंद्रीय सरकार को, ऐसे अवधि के भीतर, जो समय-समय पर अधिसूचित की जाए, की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

परंतु खंड (ख) में निर्वाचक नामावलियों से संबंधित डाटाबेस को तैयार करना या अनुरक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगा ।"।

1950 का 43

धारा 4 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मत्यु को रजिस्टर करने के लिए कदम उठाएगा और भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा यथा अनुमोदित पोर्टल का उपयोग करके राज्य स्तर पर रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के एकीकृत डाटाबेस का अनुरक्षण करेगा ।

(6) धारा 17 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, राज्य स्तर पर उपधारा (5) के अधीन अनुरक्षित रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के डाटाबेस को राज्य स्तर पर अन्य डाटाबेस से, व्यौहार करने वाले प्राधिकरण को उपलब्ध करा सकेगा और प्राधिकारी, समुचित कार्यवाही करने के पश्चात्, राज्य सरकार को, ऐसे अवधि के भीतर, जो समय-समय पर अधिसूचित की जाए, की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

परंतु निर्वाचक नामावलियों से संबंधित डाटाबेस को तैयार करना या उसका अनुरक्षण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगा ।"।

1950 का 43

धारा 7 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) "नाम के बिना" शब्दों के पश्चात् ",इलैक्ट्रानिकी रूप से या अन्यथा," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "धारा 9 के अधीन" शब्दों और अंक के पश्चात् "उसके अधिकार क्षेत्र में हुए जन्म और मृत्यु के संबंध में" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (5) में,—

(क) "उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा और" शब्दों के स्थान पर

"उप रजिस्ट्रार और किसी आपदा या महामारी की दशा में विशेष उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) "आपदा" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) में है ; 2005 का 53

(ii) "महामारी" पद से महामारी अधिनियम, 1897 में निर्दिष्ट महामारी अभिप्रेत है ।"। 1897 का 3

धारा 8 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में,—

(क) "मौखिक या लिखित रूप में" शब्दों के स्थान पर "मौखिक या अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "विभिन्न विशिष्टियों" शब्दों के पश्चात् ", जिसके अंतर्गत जन्म की दशा में माता-पिता और सूचनादाता की आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, "पुरुष" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कक) गैर-सांस्थानिक दत्तक ग्रहण के संबंध में दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता ;

(कख) एकल माता-पिता या अविवाहित माता से उसके गर्भाशय से जन्में किसी बालक के संबंध में, माता-पिता ;

(कग) सेरोगेसी के माध्यम से किसी बालक के जन्म के संबंध में, जैविक माता-पिता ;";

(iv) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घक) किसी बालक के संबंध में, जिसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से दत्तक ग्रहण पर लिया गया है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का भारसाधक व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका किशोर न्याय (बालकों की देखरेख औ रसंरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खंड 57 में है ; 2016 का 2

(घख) किसी बालक देखरेख संस्था में किसी अनाथ या परित्यक्त बालक या अभ्यर्पित बालक के संबंध में बालक देखरेख संस्था का भारसाधक व्यक्ति या अभिरक्षक ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "परित्यक्त बालक" या "बालक देखरेख संस्था" या "अनाथ" या "अभ्यर्पित बालक" पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमश: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खंड (1), खंड (21), खंड (42) और खंड 2016 का 2

(60) में है ;

(घग) किसी सेरोगेसी क्लीनिक में, सेरोगेसी के माध्यम से किसी बालक के जन्म के संबंध में सेरोगेसी क्लीनिक का भारसाधक व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सेरोगेसी" और "सेरोगेसी क्लीनिक" पदों का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमश: सेरोगेसी विनियमन अधिनियम, 2021 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यघ) और खंड (यङ) में है ;"।

2021 का 47

धारा 10 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) जहां मृत्यु किसी विशिष्ट उपचार या साधारण उपचार उपलब्ध कराने वाली किसी चिकित्सा संस्था में होती है, स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना, प्रत्येक ऐसी संस्था के चिकित्सा व्यवसायी, जिसने अंतिम बीमारी के दौरान उस व्यक्ति की परिचर्या की थी, द्वारा हस्ताक्षरित मृत्यु के कारण के प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, मुफ्त उपलब्ध कराएगी और ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति को निकटतम नातेदार को उपलब्ध कराएगी ।

(3) किसी चिकित्सा संस्था से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में और ऐसे व्यक्ति की उसकी अंतिम बीमारी के दौरान किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परिचर्या की गई थी, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् तत्काल ऐसा चिकित्सा व्यवसायी मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, ऐसे व्यक्ति को मुफ्त जारी करेगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देने के लिए अपेक्षित हो और ऐसा व्यक्ति, प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, इस अधिनियम के अधीन अपेक्षानुसार मृत्यु की इत्तिला देते समय उसे रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगा ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 11 में, "इस निमित्त रखे गए रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखेगा तथा यदि वह लिख नहीं सकता है" शब्दों के स्थान पर "इस निमित्त रखे गए रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और यदि वह लिख नहीं सकता है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।

"12. रजिस्ट्रार, जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, तुरंत पश्चात् किंतु सात दिन के अपश्चात् इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा अपने हस्ताक्षराधीन, ऐसे जन्म या मृत्यु से संबंधित अपने रजिस्टर से उद्धृत प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला देने वाले व्यक्ति को मुफ्त देगा ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

'(2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के तीस दिन के पश्चात किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह जिला रजिस्ट्रार या ऐसे अन्य प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे

प्ररूप तथा रीति में जो विहित की जाए, स्व-अनुप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी ।

(3) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना उसके होने के एक वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात्, उस क्षेत्र में जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु हुई है, अधिकारिता रखने वाले एक जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर, और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत की जाएगी । ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,"कार्यपालक मजिस्ट्रेट" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ।'। 1974 का 2

धारा 16 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में "जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रखेगा" शब्दों के स्थान पर "जन्म और मृत्यु का इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा, रजिस्टर रखेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(i) उपधारा (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) ऐसे रजिस्टर में से, ऐसे प्ररूप और रीति में जारी किया जाएगा जो विहित की जाए, जन्म या मृत्यु का कोई प्रमाणपत्र इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा अभिप्राप्त कर सकेगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को दिया गया मृत्यु संबंधी कोई प्रमाणपत्र, मृत्यु का रजिस्टर में प्रविष्ट कारण प्रकट नहीं करेगा ।

(ii) उपधारा (2) में "उद्धरण" शब्द दोनों स्थानों पर जहां आता है, के स्थान पर "प्रमाणपत्र" शब्द रखा जाएगा;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 12 या उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र, किसी व्यक्ति के, जिसने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् जन्म लिया है, जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने हेतु निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा,—

(क) शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश;

(ख) चालन अनुज्ञप्ति जारी करना;

(ग) मतदाता सूची तैयार करना;

(घ) विवाह का रजिस्ट्रीकरण;

(ङ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी कानूनी निकाय या स्वायत निकाय में किसी पद पर नियुक्ति;

(च) पासपोर्ट जारी करना;

(छ) आधार संख्यांक जारी करना; और

(ज) कोई अन्य प्रयोजन जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ।"।

धारा 18 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 18 में, "जिला रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "मुख्य रजिस्ट्रार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, "कोई व्यक्ति जो" शब्दों के स्थान पर, "कोई व्यक्ति जो, उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय," शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, "अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाने" शब्दों के स्थान पर,"यथास्थिति, अपना अगुष्ठ-चिह्न लगाने या हस्ताक्षर करने" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) दीर्घ पंक्ति में,"पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जो कोई धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (घक), खंड (घख), खंड (घग) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो,—

(क) ऐसी इत्तिला, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा; या

(ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्टर में लिखे जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इत्तिला देगा या दिलवाएगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है; या

(ग) धारा 11 अधीन अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अपना अगुष्ठ-चिह्न लगाने या हस्ताक्षर करने से इंकार करेगा,

प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"।

(ग) उपधारा (2) में,—

(i) "अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में" शब्दों के पश्चात् "या धारा 12 के अधीन इत्तिला देने वाले को कोई प्रमाणपत्र देने में" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) "पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,

अर्थात् :—

"(3) कोई व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में या देने में उपेक्षा या उससे इंकार करेगा या कोई व्यक्ति जो ऐसे प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार को परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इंकार करेगा वह जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"।

(ङ) उपधारा (4) में,—

(i) "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "कोई व्यक्ति जो, उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) "दस रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिए इस धारा में किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"।

(छ) उपधारा (5) में "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्द और अंक रखे जाएंगे । 1898 का 5 1974 का 2

धारा 24 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (1) में "किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन" से प्रारंभ होने वाले शब्दों और "धन राशि प्रतिगृहीत कर सकेगा" पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"किसी व्यक्ति से,—

(क) धारा 23 की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, उस अपराध के प्रशमन के तौर पर दो सौ पचास रुपए से अनधिक धनराशि प्रतिगृहीत कर सकेगा;

(ख) जो धारा 23 की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट है, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में एक हजार रुपये से अनधिक धनराशि प्रतिगृहीत कर सकेगा ।"।

नई धारा 25क का अंत:स्थापन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अपील ।

"25क. (1) कोई व्यक्ति जो,—

(i) रजिस्ट्रार के किसी आदेश या कार्रवाई से व्यथित है, वह जिला रजिस्ट्रार को; या

(ii) जिला रजिस्ट्रार के किसी आदेश या कार्रवाई से व्यथित है, वह मुख्य रजिस्ट्रार को, यथास्थिति ऐसे आदेश की प्राप्ति या ऐसी कार्रवाई की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए अपील कर सकेगा ;

(2) ऐसी अपील फाइल करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति, जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील का विनिश्चय करेगा ।"।

धारा 30 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) में,—

(i) खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन मृत्यु के कारण के प्रमाणपत्र का प्ररूप;

(ङ) वह प्ररूप और रीति जिनमें धारा 12 के अधीन जन्म या मृत्यु का प्रमाणपत्र दिया जाएगा;

(च) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन वह प्राधिकारी जो किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा और स्व अनुप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;";

(ii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(छक) वह प्ररूप और रीति जिसमें जन्म या मृत्यु का प्रमाणपत्र धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अभिप्राप्त किया जा सकेगा;

(छख) धारा 25क की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;";

(iii) खंड (i) में, "उद्धरण" शब्द के स्थान पर, "प्रमाणपत्र" शब्द रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) (अधिनियम) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण और उससे संबद्ध विषयों के विनियमन का उपबंध करने के लिए विनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम को उसके प्रारंभ से अब तक संशोधित नहीं किया गया है । इसके प्रचालन की अवधि के दौरान सामाजिक परिवर्तन और प्रौद्योगिकीय विकास के साथ गति बनाए रखने के लिए और इसे नागरिकों के अधीन अनुकूल बनाने के लिए अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है । राज्य सरकारों, साधारण जन और अन्य पणधारियों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर अधिनियम, जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्ररूप में है, के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना प्रस्तावित है ।

3. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, अन्य बातों के साथ,—

(i) अधिकांशत: पब्लिक के फायदे के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के डिजीटल रजिस्ट्रीकरण और इलैक्ट्रानिक परिदान के लिए उपबंध अंत:स्थापित करने का उपबंध करता है ;

(ii) रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डाटा बेस तैयार करना, जो अन्य डाटा बेसों को अद्यतन करने में सहायता प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप पब्लिक सेवाओं और सामाजिक फायदों के दक्ष और पारदर्शी परिदान के रूप में होगा, का उपबंध करता है;

(iii) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् जन्मे किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिले, चालन अनुज्ञप्ति जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह रजिस्ट्रीकरण, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी कानूनी या स्वायत्त निकाय में किसी पद पर नियुक्ति करने, पासपोर्ट जारी करने, कोई आधार नंबर जारी करने तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा पब्लिक सुविधा में वृद्धि करने और देश में जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए, दस्तावेजों की बहुलता से बचने के लिए जन्म प्रमाणपत्र के उपयोग का उपबंध करने का उपबंध करता है;

(iv) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से आदेश करने वाले प्राधिकारी को परिवर्तित करके जिला मजिस्ट्रेट या उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी जन्म या मृत्यु के एक वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रार को विलंबित सूचना की दशा में प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को करना और तीस दिन के पश्चात् किंतु एक वर्ष के भीतर किसी जन्म या मृत्यु की विलंबित सूचना की दशा में नोटरी पब्लिक के समक्ष किसी शपथ-पत्र के स्थान पर स्वत: प्रमाणित दस्तावेज को प्रस्तुत करने का उपबंध करता है ;

(v) दत्तक ग्रहण किए, अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित, सरोगेट बालक और एकल माता-पिता या अविवाहित माता से बालक के रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को सुकर बनाने का उपबंध करता है ;

(vi) सभी चिकित्सा संस्थाओं से मृत्यु के कारण का रजिस्ट्रार को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने को आज्ञापक बनाने और उसकी एक प्रति सबसे नजदीकी नातेदार को उपलब्ध कराने का उपबंध करता है ;

(vii) किसी आपदा या महामारी में मृत्यु के त्वरित रजिस्ट्रीकरण और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विशेष "उप रजिस्ट्रार" की नियुक्ति का उपबंध करता है ;

(viii) जन्म रजिस्ट्रीकरण की दशा में माता-पिता और सूचना प्रदान करने वाले के आधार नंबर, यदि उपलब्ध हों, को संग्रहित करने का उपबंध करता है ;

(ix) रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार की किसी कार्रवाई या आदेश से व्यथित साधारण जन की शिकायतों को दूर करने का उपबंध करता है ; और

(x) अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में वृद्धि करने का उपबंध करता है ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
27 जून, 2023

अमित शाह

वित्तीय ज्ञापन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023, यदि अधिनियमित किया जाता है, तो इसमें भारत की संचित निधि में से कोई आवर्ती या अनावर्ती वित्तीय व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 धारा 30 के संशोधन से संबंधित है । उक्त धारा राज्य सरकारों को अधिनियम में उल्लिखित कतिपय विषयों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करती है । उक्त धारा का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में भी नियम बनाने हेतु राज्य सरकारों को सशक्त करने के लिए है, अर्थात् :—

(i) धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन मृत्यु के कारण के प्रमाणपत्र का प्ररुप;

(ii) वह प्ररुप और रीति जिनमें धारा 12 के अधीन जन्म या मृत्यु का प्रमाणपत्र दिया जाएगा;

(iii) वह प्राधिकारी जो किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा और धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन स्व अनुप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्ररुप और रीति;

(iv) वह प्ररुप और रीति जिसमें जन्म या मृत्यु का प्रमाणपत्र धारा 17 के अधीन अभिप्राप्त किया जा सकेगा ; और

(v) धारा 25क की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत करने का प्ररुप और रीति ।

2. वे विषय जिनके संबंध में उपरोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, प्रशासनिक ब्यौरों और प्रक्रिया के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं और निर्वचन ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जन्म" से जीवित-जन्म या मृत-जन्म अभिप्रेत है ;

(ख) "मृत्यु" से जीवित-जन्म हो जाने के पश्चात् किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी तौर पर विलोपन अभिप्रेत है ;

* * * * * *

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण स्थापन

भारत का महारजिस्ट्रार ।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

* * * * * *

(3) महारजिस्ट्रार उन राज्यक्षत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में साधारण निदेश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विषय के मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के समन्वय और एकीकरण के लिए कदम उठाएगा और उक्त राज्यक्षेत्रों में इस अधिनियम की कार्यान्वयन विषयक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

* * * * * *

रजिस्ट्रार ।

7. (1) * * * * *

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में धारा 8 या धारा 9 के अधीन उसे दी गई इत्तिला, फीस या ईनाम के बिना दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी सावधानी से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित विशिष्टियों के अभिनिश्चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिए भी कदम उठाएगा ।

* * * * * *

(5) मुख्य रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकेगा ।

अध्याय 3

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ।

8. (1) नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूपों में प्रविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न विशिष्टियों की इत्तिला अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मौखिक या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को दें या

दिलवाएं,—

(क) खण्ड (ख) से (ङ) तक में निर्दिष्ट स्थान से भिन्न किसी घर में, चाहे वह निवासीय हो या अनिवासीय, हुए जन्म और मृत्यु की बाबत, उस घर का ऐसा मुखिया, या यदि उस घर में एक से अधिक गृहस्थियां निवास करती हों तो उस गृहस्थी का ऐसा मुखिया, जो उस घर या गृहस्थी द्वारा मान्य मुखिया हो और यदि किसी ऐसी कालावधि के दौरान, जिसमें जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट की जानी हो, किसी समय ऐसा व्यक्ति घर में उपस्थित न हो तो मुखिया का वह निकटतम संबंधी जो घर में उपस्थित हो और ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उक्त कालावधि के दौरान उसमें उपस्थित सबसे बड़ा वयस्थ पुरुष ;

* * * * * *

10. (1) * * * * * जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य ।

(2) किसी क्षेत्र में इस निमित्त प्राप्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र, ऐसे व्यक्ति से और ऐसे प्ररूप से, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(3) जहां राज्य सरकार ने उपधारा (2) के अधीन यह अपेक्षा की हो कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाए वहां उस व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, जो अपनी अन्तिम बीमारी के दौरान किसी चिकित्सा-व्यवसायी की परिचर्या में था, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् तत्काल वह चिकित्सा-व्यवसायी कोई फीस लिए बिना ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देने के लिए अपेक्षित हो, मृत्यु के कारण के बारे में, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कथन करते हुए, प्रमाणपत्र देगा, और ऐसा व्यक्ति वह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और इस अधिनियम की अपेक्षानुसार मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देते समय रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगा ।

11. प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित कोई इत्तिला मौखिक रूप में दी हो, इस निमित्त रखे गए रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखेगा तथा यदि वह लिख नहीं सकता है तो रजिस्टर में अपने नाम, वर्णन और निवास-स्थान के सामने अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाएगा और ऐसी दशा में वे विशिष्टियां रजिस्ट्रार द्वारा लिखी जाएंगी । इत्तिला देने वाले का रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना ।

12. □□□□ □□ मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, रजिस्ट्रार रजिस्टर में से उस जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विशिष्टियों का अपने हस्ताक्षर सहित उद्धरण उस व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला दी । इत्तिला देने वाले को रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना ।

13. (1) * * * * * जन्म और मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण ।

(2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित इत्तिला उसके होने के तीस दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और विहित फीस दिए जाने तथा नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ-पत्र के पेश किए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी ।

(3) जो जन्म या मृत्यु होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई हो, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर और विहित फीस दिए जाने पर ही

रजिस्ट्रीकृत की जाएगी ।

* * * * * *

अध्याय 4

अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना

विहित प्ररूप में रजिस्टरों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना ।

16. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, जिसके सम्बन्ध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता हो, विहित प्ररूप में जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रखेगा ।

* * * * * *

जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी ।

17. (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिनके अन्तर्गत फीस और डाक-महसूल के संदाय से संबद्ध नियम भी हैं, कोई व्यक्ति—

* * * * * *

(ख) ऐसे रजिस्टर में से किसी जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध कोई उद्धरण अभिप्राप्त कर सकेगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को दिया गया मृत्यु सम्बन्धी कोई उद्धरण, मृत्यु का रजिस्टर में यथा प्रविष्ट मृत्यु के कारणों से संबंधित विशिष्टियों को प्रकट नहीं करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन दिए गए सभी उद्धरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 76 के उपबन्धों के अनुसार, रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे ऐसे उद्धरण देने के लिए राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो, प्रमाणित किए जाएंगे और उस जन्म या मृत्यु को जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध हो, साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य होंगे । 1872 का 1

* * * * * *

रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण ।

18. रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण और उनमें रखे गए रजिस्टरों की परीक्षा ऐसी रीति से, और ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे जिला रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे, किया जाएगा ।

* * * * * *

शास्तियां ।

23. (1) कोई व्यक्ति जो—

* * * * * *

(ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाने से इन्कार करेगा,

वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणियां भेजने में उपेक्षा या उससे इन्कार युक्तियुक्त कारण के बिना करेगा वह जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) कोई चिकित्सास-व्यवसायी, जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र देने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा और कोई व्यक्ति जो ऐसा प्रमाणपत्र परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबन्ध का, युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिए इस धारा में किसी शास्ति का उपबन्ध नहीं है, वह जुर्माने से, जो दस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

1898 का 5

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपत: किया जाएगा ।

अपराधों के प्रशमन की शक्ति ।

24. (1) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, उस अपराध के प्रशमन के तौर पर पचास रुपए से अनधिक धनराशि प्रतिगृहीत कर सकेगा ।

* * * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

30. (1) * * * * *

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

* * * * * *

(घ) वह व्यक्ति जिससे और वह प्ररूप जिसमें मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाएगा ;

(ङ) वे विशिष्टियां जिनका उद्धरण धारा 12 के अधीन दिया जा सकेगा ;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा ;

(छ) धारा 13 के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीसें ;

* * * * * *

(झ) जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों की तलाशी और ऐसी तलाशी के लिए तथा रजिस्टरों में से उद्धरण दिए जाने के लिए फीसें ;

* * * * * *